

सिविल/शिक्षा/मिलिट्री पेंशन

फार्म संख्या 8 (1)

पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु प्रमाण-पत्र
(अनुच्छेद-17 देखा जाये)

1. जीवित होने का प्रमाण-पत्र

सर्विस पेंशनर की जन्मतिथि
पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि प्रमाण पत्र सहित
(निवार्चन पहचानपत्र/पैनकार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस)
मोबाईल नं0/टेलीफोन नं.

फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि पेंशनभोगी श्री/श्रीमती
धारक पी0पी0ओ0 संख्या जो राज्य सरकार के सिविल/शिक्षा/मिलिट्री के पेंशनर बैंक का
नाम शाखा खाता संख्या
से पेंशन आहरित कर रहे है/रही है, को देखा है कि वह आज की तारीख में जीवित है।

.....
(पेंशन भोगी के हस्ताक्षर)
दिनांक

.....
अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
मोहर

फार्म संख्या 8 (2)

2. रोजगार रहित होने संबंधी प्रमाण-पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके / बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार किया है (उत्तर प्रदेश सेवा के प्रथम श्रेणी अधिकारी द्वारा सेवा निवृत्ति के प्रथम दो वर्षों में दिया जाना है)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके / बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए भारत सरकार की परिधि के बाहर या किसी भी सरकार (केन्द्र, राज्य या केन्द्रशासित) के अधीन किसी प्रकार का रोजगार स्वीकार किया है/स्वीकार नहीं किया है, (केवल उत्तर प्रदेश के प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा दिया जाना है)

दिनांक

हस्ताक्षर
पेंशनभोगी का नाम

फार्म संख्या 8 (3)

3. पुनर्विवाह/अविवाहित होने का प्रमाण-पत्र

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं अविवाहित नहीं हूँ/मैंने पिछले एक वर्ष के अन्दर विवाह नहीं किया है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा ऐसा करने पर मैं कोषाधिकारी को सूचिख्त करूंगा/करूंगी।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
पेंशनभोगी का नाम

नोट: जो लागू न हो उसे काट दें।